न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– रेनू मीना (आर. ए. एस.)

दावा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
1/5/2018	09.01.2018	03.12.2019

उनवान

1. लक्ष्मी पुत्री स्व0 पन्ना लाल पत्नी रमेशचन्द जाति मीना निवासी मौहल्ला खोहरा तहसील व जिला अलवर हाल काश्तकार ग्राम रूंध धूनीनाथ तहसील रामगढ जिला अलवर।

.....वादनी

बनाम

1. सूरज पुत्र स्व0 पन्नालाल जाति मीना निवासी रूपबास तहसील व जिला अलवर ।
2. उप पंजियक महोदय रामगढ (अलवर)

.....असल प्रतिवादीगण

3. राजस्थान सरकार (भू0अ0)जर्ये तहसीलदार साहब, रामगढ़

..... तकमीली प्रतिवादी

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 188 आरटीएक्ट)

उपस्थित अभिभाषकगण –

1. श्री जगदीश चन्द सतीजा एडवोकेट – वादी
2. श्री राजकुमार यादव एडवोकेट – प्रतिवादी

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का विवरण संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आराजी हाल खसरा नम्बर 51 रकबा 0.10, 52 रकबा 0.67, 53 रकबा 0.09, 54 रकबा 0.06, 55 रकबा 0.09, 59 रकबा 0.12, 73 रकबा 0.10 हैक्ट0 कुल किता 7 रकबा 1.26 हैक्ट0 वाके ग्राम रूंधधूनीनाथ तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित है। जो आराजी वाद में विवादित है। उक्त विवादित आराजी वादनी व असल प्रतिवादी सं0 1 के पिता पन्नालाल की अलोटशुदा कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी। वादनी के पिता पन्ना लाल की मृत्यु के उपरान्त उक्त आराजी वादीगण की माता सम्पती के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदार दर्ज हुई। वादनी की माता की अब मृत्यु हो चुकी है। उसकी मृत्यु के उपरान्त अभी तक उक्त आराजी का विरासत इन्तकाल उसके वारिसान के नाम नही खुला है जबकि प्रतिवादी सं0

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

1 उक्त आराजी को बाला बाला अकेले अपने नाम दर्ज करवाना चाहता है। तथा वादनी को उक्त आराजी में कोई हक हिस्सा नही देना चाहता है। जबकि वादनी का भी कानूनन जन्म सें ही हक व हिस्सा बनता है। जिसको प्राप्त करने की वादनी अधिकारिणी है।

अतः प्रार्थना है कि डिक्री बाबत तकसीम आराजी व इस्तकरारहक सादिर की जाकर विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 51 रकबा 0.10, 52 रकबा 0.67, 53 रकबा 0.09, 54 रकबा 0.06, 55 रकबा 0.09, 59 रकबा 0.12, 73 रकबा 0.10 हैक्ट0 कुल किता 7 रकबा 1.26 हैक्ट0 वाके ग्राम रूंधधूनीनाथ तहसील रामगढ जिला अलवर में से वादनी को 1/2 हिस्से तक का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा विवादित आराजी में से अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी तकसीम की जाकर वादनी असल प्रतिवादी सं0 1 के हिस्से का अलग अलग खाता व लगान कायम कराया जावे। मुताबिक तकसीम कागजातमाल में अमल दरामद कराया जावें।

वादनी का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया जिसका विवरण इस प्रकार है कि पक्षकारान भाई–बहिन है। लोक अदालत की भावना से पक्षकारों में आपस में आगामी विवाद नही बढे, इसलिए राजीनामा हो गया है। बमुताबिक राजीनामा आराजी खसरा नम्बर 59 रकबा 0.12, 73 रकबा 0.13 हैक्ट0 कुल किता 2 रकबा 0.25 हैक्ट0 वाके ग्राम रूंधधूनीनाथ तहसील रामगढ जिला अलवर वादिनी लक्ष्मी देवी की तन्हा कब्जे काश्त खातेदारी की है और रहेगी, जिस पर वादिनी मौके पर काबिज है तथा शेष आराजी खसरा नम्बर 51 रकबा 0.10, 52 रकबा 0.67, 53 रकबा 0.09, 54 रकबा 0.06, 55 रकबा 0.09 हैक्ट0 कुल किता 5 रकबा 1.01 हैक्ट0 वाके ग्राम रूंधधूनीनाथ तहसील रामगढ जिला अलवर प्रतिवादी सूरज पाल मीना की तन्हा कब्जे काश्त खातेदारी की है और रहेगी और जिस पर प्रतिवादी काबिज है। वादिनी के हिस्से की आराजी से प्रतिवादी का कोई सम्बन्ध एवं कोई हक व अधिकार नही रहेगा। तथा प्रतिवादी के हिस्से की आराजी का वादिनी का कोई हक एवं अधिकार नही रहेगा तथा प्रतिवादी की अन्य दीगर किसी भी चल व अचल सम्पत्ति है, जो उसके कब्जे में है अथवा भविष्य में अर्जित की जायेगी, उसमें

वादिनी कभी कोई क्लेम भविष्य में नही करेगी। वादिनी का प्रतिवादी को मां से प्राप्त किसी भी विरासत में कोई हक वो अधिकार भी किसी तरह का नही रहेगा। पक्षकारो के मध्य अब किसी प्रकार का विवाद नही रहा है। और तमाम विवाद बमुताबिक राजीनामा समाप्त हो गये है।

अतः निवेदन है कि उपरोक्तानुसार दावा मुताबिक राजीनामा डिक्री फरमा दिया जावे और वादिनी व प्रतिवादी के नाम उनके हिस्से का इन्तकाल दर्ज करवाया जाकर आराजीयात को तकसीम कराते हुए कागजातमाल में अमल दरामद कराया जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अध्ययन किया। उभयपक्षकरान द्वारा प्रस्तुत राजीनामें पर मनन किया। प्रस्तुत राजीनामें में वादिनी की ओर से पहचानकर्ता श्री जगदीश चन्द सतीजा एडवोकेट द्वारा की गई तथा प्रतिवादी की ओर से पहचानकर्ता श्री राजकुमार यादव एडवोकेट द्वारा की गई। प्रस्तुत राजीनामें को तस्दीक किया गया। और लोक अदालत की भावना से पक्षकारों के मध्य आपसी सहमती से राजीनामा हुआ है। ऐसी स्थिति में मुताबिक राजीनामा वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

वादिनी का वाद लोक अदालत की भावना को मध्य नजर रखते हुए स्वीकार किया जाकर इसी प्रकार डिक्री किया जाता है कि बमुताबिक राजीनामा आराजी खसरा नम्बर 59 रकबा 0.12, 73 रकबा 0.13 हैक्ट0 कुल किता 2 रकबा 0.25 हैक्ट0 वाके ग्राम रूंधधूनीनाथ तहसील रामगढ जिला अलवर वादिनी लक्ष्मी देवी की तन्हा कब्जे काश्त खातेदारी की है और रहेगी, जिस पर वादिनी मौके पर काबिज है तथा शेष आराजी खसरा नम्बर 51 रकबा 0.10, 52 रकबा 0.67, 53 रकबा 0.09, 54 रकबा 0.06, 55 रकबा 0.09 हैक्ट0 कुल किता 5 रकबा 1.01 हैक्ट0 वाके ग्राम रूंधधूनीनाथ तहसील रामगढ जिला अलवर प्रतिवादी सूरज पाल मीना की तन्हा कब्जे काश्त खातेदारी की है और रहेगी और जिस पर प्रतिवादी काबिज है। वादिनी के हिस्से की आराजी से प्रतिवादी का कोई सम्बन्ध एवं कोई हक व अधिकार नही रहेगा। तथा प्रतिवादी के हिस्से की आराजी का वादिनी का कोई हक एवं अधिकार नही रहेगा तथा प्रतिवादी की अन्य दीगर किसी भी चल व अचल

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

सम्पत्ति है, जो उसके कब्जे में है अथवा भविष्य में अर्जित की जायेगी, उसमें वादिनी कभी कोई क्लेम भविष्य में नही करेगी। वादिनी का प्रतिवादी को मां से प्राप्त किसी भी विरासत में कोई हक वो अधिकार भी किसी तरह का नही रहेगा। उपरोक्तानुसार तकसीम कर कागजातमाल में अमल करने हेतु तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है। इसी प्रकार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 03.12..2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रेनू मीना)
आरएएस
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– रेनू मीना (आर. ए. एस.)

दावा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
1/5/2018	09.01.2018	03.12.2019

उनवान

1. लक्ष्मी पुत्री स्व0 पन्ना लाल पत्नी रमेशचन्द जाति मीना निवासी मौहल्ला खोहरा तहसील व जिला अलवर हाल काश्तकार ग्राम रूंध धूनीनाथ तहसील रामगढ जिला अलवर।

.....वादनी

बनाम

1. सूरज पुत्र स्व0 पन्नालाल जाति मीना निवासी रूपबास तहसील व जिला अलवर ।
2. उप पंजियक महोदय रामगढ (अलवर)

.....असल प्रतिवादीगण

3. राजस्थान सरकार (भू0अ0)जर्ये तहसीलदार साहब, रामगढ़

..... तकमीली प्रतिवादी

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 188 आरटीएक्ट)

उपस्थित अभिभाषकगण –

1. श्री जगदीश चन्द सतीजा एडवोकेट – वादी
2. श्री राजकुमार यादव एडवोकेट – प्रतिवादी

पर्चा डिक्री

वादिनी का वाद लोक अदालत की भावना को मध्य नजर रखते हुए स्वीकार किया जाकर इसी प्रकार डिक्री किया जाता है कि बमुताबिक राजीनामा आराजी खसरा नम्बर 59 रकबा 0.12, 73 रकबा 0.13 हैक्ट0 कुल किता 2 रकबा 0.25 हैक्ट0 वाके ग्राम रूंधधूनीनाथ तहसील रामगढ जिला अलवर वादिनी लक्ष्मी देवी की तन्हा कब्जे काश्त खातेदारी की है और रहेगी, जिस पर वादिनी मौके पर काबिज है तथा शेष आराजी खसरा नम्बर 51 रकबा 0.10, 52 रकबा 0.67, 53 रकबा 0.09, 54 रकबा 0.06, 55 रकबा 0.09 हैक्ट0 कुल किता 5 रकबा 1.01 हैक्ट0 वाके ग्राम रूंधधूनीनाथ तहसील रामगढ जिला अलवरं प्रतिवादी सूरज पाल मीना की तन्हा कब्जे काश्त खातेदारी की है और रहेगी और जिस पर प्रतिवादी काबिज है। वादिनी के हिस्से की आराजी से प्रतिवादी का कोई सम्बन्ध एवं कोई हक व अधिकार नही रहेगा। तथा प्रतिवादी के हिस्से की आराजी का वादिनी का कोई हक एवं अधिकार नही रहेगा तथा प्रतिवादी

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

की अन्य, दीगर किसी भी चल व अचल सम्पत्ति है, जो उसके कब्जे में है अथवा भविष्य में अर्जित की जायेगी, उसमें वादिनी कभी कोई क्लेम भविष्य में नही करेगी। वादिनी का प्रतिवादी को मां से प्राप्त किसी भी विरासत में कोई हक वो अधिकार भी किसी तरह का नही रहेगा। उपरोक्तानुसार तकसीम कर कागजातमाल में अमल करने हेतु तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 03.12.2019 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

(रेनू मीना)
आरएएस
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)